राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(22)नियम / डीएलबी / 16 / 6277 जयपुर,दिनांक : 13/06/16

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं नियमो की अनुपालना में जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाईसेन्स, परमीशन, स्वीकृति पत्र आदि जारी करने हेतु नगर निगमो के मामलो में संबंधित उपायुक्त तथा अन्य निकायो के मामलो में संबंधित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय लेने हेतु नगर निगमो के मामलो में मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य नगरीय निकायो के मामलो में अग्निशमन से संबंधित अधिकारी की अभिशंषा पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी को फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(22)नियम / डीएलबी / 16 / 6678-6906 दिनांक : 13/06/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
7. सी.एम.ए.आर. को नेट पर अपलोड करने / उपलब्ध करवोन हेतु प्रेषित है।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी